अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2015

का.आ. 485(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 14 जून, 2011 की अधिसूचना सं0 का0आ0 1370 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "सुभाग महिला उत्कर्ष ट्रस्ट, प्लॉट सं० 2234-एफ, फुलवाड़ी, हिल ड्राइव, भावनगर 364002-गुजरात" द्वारा "दुखी और निराश्रित महिलाओं के लिए अल्प ठहराव गृह और हैल्पलाइन तथा बेरोजगार महिलाओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण की आवर्ती लागत" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 25 लाख रू0 की कॉपर्स निधि सहित 2.58 करोड़ रू0 की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं0 1 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा "सुभाग महिला उत्कर्ष ट्रस्ट, प्लॉट सं० 2234-एफ, फुलवाड़ी, हिल ड्राइव, भावनगर 364002-गुजरात" द्वारा चलाई जा रही "दुखी और निराश्रित महिलाओं के लिए अल्प ठहराव गृह और हैल्पलाइन तथा बेरोजगार महिलाओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण की आवर्ती लागत" की परियोजना अथवा स्कीम को 25 लाख रू0 की कॉपर्स निधि सहित 2.58 करोड़ रू0 की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 115/2015/फा. सं. वी -27015/4/2014-एसओ (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)